

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें

- 1— समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
- 2— आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल।
- 3— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास अनुभाग, देहरादून : दिनांक ॥ । अक्टूबर, 2013

विषय :— प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त आवासीय और लोक भवनों के पुनर्निर्माण हेतु नीति के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत प्रभावित परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा आपदा प्रभावित जनमानस के आवासों के पुनर्निर्माण की तात्कालिक आवश्यकता के कियान्वयन के लिए एक नीति की आवश्यकता है।

चूंकि आपदा से सर्वाधिक प्रभावित पांच जिलों में से उत्तरकाशी को छोड़ कर अन्य सभी का अधिकांश भाग भूकम्पीय स्तर की दृष्टि से जोन V में अवस्थित है। अतः पुर्नसंरचना भूकम्प और अन्य आपदाओं के प्रतिरोध एवं जनहानि को रोकने/कम करने के दृष्टिगत किया जाना होगा। अतः इस नीति का उद्देश्य प्रभावित जनता की आपदा संवेदनशीलता को न्यून करना तथा उन्हें आत्संसम्मान के साथ रहने के लिए मूलभूत सुविधा सहित यथाशीघ्र आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। उक्त नीति निम्नवत् है:—

1— अर्ह लाभार्थी—

नीति से उत्तराखण्ड में पांच जिलों अर्थात् उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अधिवास कर रहे सभी ऐसे आवास धारक आच्छादित होंगे जिनके आवास पूरी तरह नैष्ट हो गये हैं। जून, 2013 की आपदा में अनेकों आवास पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गये थे अथवा मरम्मत करने योग्य नहीं रहे थे। कई ऐसे भी भवन थे जो कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे और वर्तमान में जिनका पुनर्निर्माण किया जाना होगा। कई स्थानों पर एकल आवास, कलस्टर और यहां तक की सम्पूर्ण छोटी बरती बह गयी थी तथा भूमि अस्थिर और असुरक्षित हो गयी थी। इन कलस्टरों व

वर्सितयों का वर्तमान में पुनर्स्थापन किया जाना है। इस नीति के अनुसार उसी क्षतिग्रस्त ईकाइयों के पुनर्निर्माण में सहयोग दिया जाएगा।

* 2—लाभार्थी चिन्हिंकरण—

संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, लाभार्थियों की सूची तैयार कर इस सूची को लोक सन्ननिरीक्षा और सत्यापन की प्रक्रिया के लिये प्रस्तुत करेंगे। पुनर्निर्माण के लिये वह आवास होंगे जो कि जून, 2013 की आपदा एवं उसके प्रकार से नष्ट होने के कारण पुनर्निर्मित किये जाने हैं।

भूकम्प जोन और अन्य आपदाओं के अनुसरण में सरकारी निर्देशों/नियमों के अधीन मरम्मत की संभाव्यता को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के विभागों के अर्हित अभियन्ताओं के एक दल द्वारा सभी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवनों का परीक्षण किया जायेगा। वह अपेक्षित मरम्मत की सीमा का आंकलन करेंगे। इस आंकलन के आधार पर यह निश्चित किया जायेगा कि इन्हें पूर्णतः अथवा आंशिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। आवास जिनकी मरम्मत की जा सकती है, वह पृथक से अवरिथ्त पुनर्वास के लिये निर्धारित नियमों के अधीन वित्त पोषण हेतु आच्छादित होंगे।

इस परियोजना के अधीन आच्छादित सभी चयनित लाभार्थी राज्य सरकार के साथ जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से नीति की शर्तों और निबंधनों से सहमत होने संबंधी एक समझौता पत्र का निष्पादन करेंगे।

3—आवासीय श्रेणी—

प्रभावित आवास धारकों को निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा रहा है:-

क— वर्ग एक — आवास धारक की भूमि पर निर्मित आवास जिस भूमि पर उनका मालिकाना हक है और वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्माण के लिए सुरक्षित सत्यापित है। लाभार्थियों को यह विकल्प होगा कि वह अपना आवास स्वयं निर्मित करें (परम्परागत आवास) या सरकार द्वारा निर्मित किये जाने वाले प्रीफेब्रीकेटेड आवास चुनें।

ख— वर्ग दो— ऐसे आवास धारक जिनके आवास और भूमि आपदा के फलस्वरूप दोनों नष्ट हो गये हैं, के लिए कलस्टर आवासों का निर्माण तथा जिसके लिये उसी ग्राम क्षेत्र के भीतर भूमि उपलब्ध है।

ग— वर्ग तीन— आपदा के फलस्वरूप आवास और भूमि नष्ट हुए आवास धारकों के लिए नये क्षेत्र पर अवरिथ्त कलस्टर आवासों का निर्माण। इस वर्ग के निर्माण के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध व विकसित करायी जायेगी और मूलभूत सुविधाओं एवं सेवाओं यथा—स्कूल भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र,

जल, स्वच्छता, विद्युत इत्यादि सुविधायां यदि पहुंच दूरी के भीतर उपलब्ध न हो तो, उपलब्ध करायी जायेगी। निर्मित किये जाने वाले आवास प्राफेक्ट्रीकेटेड होंगे।

4— आवासीय आवश्यकताएँ—

उपर्युक्त सभी वर्गों के लिए प्रस्तावित आवासों के लिए आवास के तकनीकी विशिष्टीकरण और डिजाइन तथा संबंधित संरचना ऐसी होंगी जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

उपर्युक्त सभी तीनों वर्गों के लाभार्थियों को इस पहल हेतु निर्धारित शर्तों और निवंधनों के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार के साथ एक अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना होगा। आवास तभी लाभार्थी को सौंपे जायेंगे जब उसके द्वारा निर्माण की संतुष्टि को इंगित करते हुये पूर्णता प्रमाण—पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया जायेगा।

वर्ग एक —

यदि वर्ग एक के अन्तर्गत कोई लाभार्थी यह निर्णय लेता है कि उसके द्वारा आवास का निर्माण स्वयं किया जायेगा तब वह इस आशय का शपथ पत्र जिलाधिकारी को देगा। परन्तु इस विकल्प में भी स्थल की सुरक्षा, आपदा प्रतिरोधक संरचना की दृष्टि के संबंध में डिजाइन, तकनीकी विशिष्टियां अन्य लाभार्थियों के समान होंगी।

अवस्थित पुनर्निर्माण के मामले में आवास धारक की भूमि जिसका उनके पास मालिकाना हक है, में बनाये जायेंगे जो कि निर्माण के लिए सुरक्षित हो और जैसा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

- आवास धारक को यह चयन करने की स्वतंत्रता होगी कि वह प्री फैब्रिकेटेड आवास अथवा पारम्परिक आवासों में से किसी एक आवास को चुन ले।
- पारम्परिक आवास भूकम्प और अन्य आपदा रोधक डिजाइन प्रक्रिया का पालन करते हुये निर्मित किये जायेंगे, किन्तु आवास का डिजाइन, प्लन्ट, कक्ष, शौचालय, स्नानगृह, रसोइघर, आच्छादित वारान्दा, दरवाजे और खिडकियां आदि प्रीफैब्रिकेटेड आवास के अनुरूप होंगा।
- राज्य की आपदा पश्चात आवास पुनर्निर्माण नीति में अधिकथित निर्माण प्रक्रिया के पालन हेतु एक अनुबंध पत्र लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

वर्ग दो —

वर्ग दो के लाभार्थी यदि स्वयं का परम्परागत आवास निर्मित करने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें वर्ग एक की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। यदि वह सरकार द्वारा निर्मित किये जाने वाले प्रीफैब्रीकेटेड आवास का चयन करते हैं तो उन्हें वर्ग तीन की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

वर्ग दो के अन्तर्गत आवास निर्माण, ग्राम में लाभार्थी के पास उपलब्ध (नवीन अवास) अन्य भूमि पर किये जायेंगे, इस भूमि पर उनका मालिकाना हक होना आवश्यक है और वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्माण के लिए सुरक्षित सत्यापित की गई है।

वर्ग तीन –

वर्ग तीन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पर्याप्त संख्या में स्कूल और स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र भी निर्मित किये जायेंगे।

राज्य सरकार ने कलस्टर के अन्तर्गत स्थायी आवास की प्रत्येक इकाई के लिए निर्मित प्लिन्थ एवं पूर्व निर्मित (प्रीफैब्रिकेटेड) आवासों का प्रस्ताव किया है। 40 वर्ग मीटर (लगभग) की प्लिन्थ के आवास में दो कक्ष, रसोईघर, स्नानगृह, शौचालय और छोटा आच्छादित वराम्दा होगा। प्रत्येक आवास में आवास धारक के प्रति व्यक्ति के लिए पर्याप्त निजी जल संग्रह (पांच व्यक्तियों के आवास धारक के औसतन प्रतिदिन के लिए प्रति व्यक्ति 40 लीटर) सहित जल संयोजन होगा। अपशिष्ट निस्तारण प्रबंधन और विद्युत संयोजन या तो ग्रिड के माध्यम से अथवा सोलर इकाई (सोलर लैन्टर्न) के माध्यम से दिया जायेगा।

1. आवास का मॉडल प्लान जिसमें सेक्षन, प्लिन्थ की ऊचाई आदि दर्शाते हुये एवं सामग्री (प्रीफैब व अन्य सामान) की विशिष्टीयां बी0आई0एस0 कोड के अनुसार तैयार कर लोकावलोकन के लिये उपलब्ध होगा, प्रदर्शन आवास क्लस्टर में विशेष स्थान पर स्थित होंगे।

2. कलस्टर आवासों के लिए पुनर्अवस्थित भूमि पहुंच योग्य और लाभार्थियों को स्वीकार्य भूमि होगी। भूमि और आवास पति और पत्नी के संयुक्त स्वामित्व को अंतरित की जायेगी। जहां तक उपयुक्त व संभव होगा ग्राम क्षेत्र के अन्तर्गत चिन्हित सरकारी भूमि पर ही राज्य सरकार द्वारा पुनर्स्थापन किया जायेगा जिससे भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही न्यून हो अथवा नहीं करनी पड़े। कलस्टर के लिए जल उपलब्धता और उनकी आवश्यकता के अनुरूप व विद्यमान आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक प्राथमिक स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी केन्द्र¹, प्राथमिक स्कूल तथा सामुदायिक कक्ष का निर्माण किया जायेगा।

5— निर्माण की लागत—लाभार्थियों को सहायता

1. समस्त प्रीफैब्रीकेटेड आवास सरकार द्वारा निर्मित किये जायेंगे।
2. समस्त स्वामित्व चलित आवास निर्माण (Owner-Driven Constructed houses) लाभार्थी द्वारा किये जायेंगे। लाभार्थियों को ₹0 पांच लाख, चार किश्तों में उपलब्ध कराये जायेंगे, जो निम्नानुसार होंगे:
 - प्रथम किश्त: अनुबन्ध हस्ताक्षर किये जाने पर ₹0 1.5 लाख प्लन्थ स्तर तक के निर्माण करने हेतु।
 - द्वितीय किश्त: ₹0 2.0 लाख प्लन्थ स्तर तक का निर्माण प्रमाणित किये जाने के उपरान्त, छत के स्तर तक निर्माण हेतु।
 - तृतीय किश्त: ₹0 1.0 लाख छत स्तर तक का निर्माण प्रमाणित किये जाने के उपरान्त, छत के निर्माण हेतु।
 - चतुर्थ किश्त: ₹0 0.5 लाख अन्तिम किश्त के रूप में आवास (शौचालय सहित) के पूर्ण होने के प्रमाणन्न पर।
 - आवास के निर्माण में हुए कोई अन्य व्यय जो राज्य सरकार द्वारा सहायता के रूप में उपलब्ध कराये जाने वाली धनराशि के अतिरिक्त है, लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

1 आगनवाडी कार्यक्रम बालक सुरक्षा और माता सुरक्षा केन्द्र के रूप में सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इसके अधीन 0-6 आयु के बच्चे आते हैं।

6— भूमि व्यवस्था—

नये आवासों और संबंधित संरचना के पुनर्निर्माण के प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि राज्य सरकार अथवा उपर्युक्त आपदा प्रभावित व्यवित्तियों की निजी भूमि होगी। भूमि का चिन्हिकरण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट यथासम्भव यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रयोजन के लिए चयनित भूमि भविष्य में आपदा की दृष्टि से खतरनाक होने की सम्भावना नहीं है। इस हेतु खनन विभाग से भूगर्भ शास्त्री और भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के विशेषज्ञ राज्य सरकार का सहयोग करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि चयनित भूमि निर्माण के लिए तकनीकी, प्रशासनिक और विधिक दृष्टि से उपयुक्त है।

राज्य सरकार लाभार्थी को भूमि दीर्घ अवधि यथा 90 वर्ष के पट्टे (लीज) पर उचित अभिलेख के माध्यम से देगी। सामान्यतः पट्टा पति और पत्नी दोनों के नाम से होगा किन्तु जहाँ केवल एक ही जीवित हो अथवा अन्य कोई स्थिति में एकल नाम से भी पट्टा दिया जा सकेगा। आवास परियोजना हेतु निश्चित डिजाईन के अनुसार

होंगे। लाभार्थी जिले में निर्मित होने वाले प्रदर्शन आवास (सॉडल हाउस) का अपनी सूचना एवं स्वीकृति के लिये अवलोकन कर सकते हैं।

7- किराया व्यवस्था—

सभी चयनित लाभार्थियों को आवास के नुकसान की तिथि से प्रारम्भ होकर ₹० 3000/- (तीन हजार रुपया) प्रतिमाह किराये की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी :

1. समस्त लाभार्थियों जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे प्रीफैब्रीकेटेड आवासों का विकल्प चुनेंगे, उन्हें उक्त किराया आवास का निर्माण पूर्ण होने और लाभार्थियों द्वारा उसमें स्थानान्तरित होने कि तिथि तक देय होगा।
2. समस्त लाभार्थी जो अपना आवास स्वयं निर्मित करने का विकल्प चुनते हैं उन्हें उक्त किराया अधिकतम दो वर्ष अथवा आवास पूर्ण होने कि तिथि (जो भी पूर्व हो) तक देय होगा।

8- आवास बीमा—

पुनर्निर्मित आवास 10 वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की आपदाओं के विरुद्ध बीमाकृत होंगे। बीमा आवास धारक के नाम से बीमा संस्था के माध्यम से केवल आवास (आवास के भीतर सामग्री के लिए नहीं) के लिये राज्य द्वारा किया जायेगा।

9- अनुश्रवण—

भूमि तथा अन्य घटकों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता अनुसार पुनर्निर्माण किया जायेगा। जैसे ही भूमि का चयन और उसका अधिग्रहण किया जाय, जिला मजिस्ट्रेट स्थल का विकास कार्य प्रारम्भ कर देंगे। जिला मजिस्ट्रेट लाभार्थियों के चयन और ट्रैकिंग प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होंगे। वह सरकारी विभागों जैसे ग्राम्य विकास, पंचायती राज अथवा राजस्व विभाग के व्यक्तियों से गठित निरीक्षण दल से लाभार्थी की वैधता, जागरूकता, स्थल परिवर्तन की सुविधा, बैंक लेखों का गठन, किराये इत्यादि से संबंधित सुविधाओं हेतु करेंगे। स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिकायें से भी सहायता ली जा सकेगी।

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम मुख्य क्रियान्वयन संस्था होगा जो राज्यस्तरीय परियोजना प्रबंधक तथा स्थल स्तर, स्थल प्रबंधक के लिए व्यवस्था करेगा। लाभार्थियों की सूची का अन्तिमिकरण, भूमि का चिन्हिकरण, भूमि की तैयारी, प्रभावित आवास धारकों की सहमति प्राप्ति, आवासों की पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण (शहरी और ग्रामीण दोनों) के लिए जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट उत्तरदायी होंगे। आदर्श निविदा प्रक्रिया पर आधारित चयनित ठेकेदारों द्वारा आवासों का निर्माण किया

जायेगा। वह सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए आवासों के हस्तगत होने तक के लिए उत्तरदार्य होंगे।

स्वामित्व चलित आवास निर्माण प्रक्रिया (Owner-Driven Constructed houses) हेतु सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे। स्वामित्व चलित आवास निर्माण प्रक्रिया में को तकनीकी एवं सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु एवं संस्था नियुक्त कि जायेगी।

10— सामुदायिक सहभागिता—

आवासीय डिजाईन और अवस्थापना के चयन में प्रभावित आवास धारकों के प्राथमिकतः सामुदायिक रूप में संलग्न किया जायेगा। यह कार्य लाभार्थियों की सूची की घोषणा, चयनित लाभार्थियों के साथ सीधे वार्ता तथा प्रभावित जनता की समाजे यथा ग्रामसभा में मॉडल आवास के प्रदर्शन के माध्यम से किया जायेगा। प्रत्येक लाभार्थी की फोटो सहित एवं पहचान—पत्र साक्ष्य (जैसे की मतदाता परिचय पत्र) द्वारा राजस्व प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा। आरम्भ में अनंतिम सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी और प्रकाशित की जायेगी तथा यदि कोई संशोधन हो तो उसे दूर करके जैसे नीचे दर्शाया गया है सूची अन्तिम कर दी जायेगी। अन्तिम सूची में संशोधन केवल निम्नलिखित उपर्युक्त प्रक्रिया के पश्चात ही किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त एक सुविचारित संचार नीति जो जागरूकता, विभिन्न घटकों के संदर्भ में सामुदायिकों सूचना और शिकायत निराकरण प्रक्रिया समिलित करते हुये बनायी जायेगी। यह स्थानीय स्तर के स्वामित्व की भावना तथा परियोजना को उन्नत करेगी।

11— शिकायत निराकरण प्रक्रिया—

कोई व्यक्ति जिसको लाभार्थी के चयन से संबंधित कोई शिकायत हो यथा स्थान का चयन, भुगतान और इसी प्रकार के अन्य शिकायतें, वह शिकायत निराकरण समिति को जिसे राज्य सरकार द्वारा अवधारित कर गठित की जायेगी में दर्ज करा सकेगा।

12— अभिलेखांकन—

चयनित लाभग्राहियों की सूची और अन्य विवरण जैसे स्थान का चयन, निधियों का वितरण, आवासों के पूर्ण होने की स्थिति, प्राप्त शिकायत, उनका निस्तारण इत्यादि एनोआईसी० द्वारा अनुरक्षित जिला वैबसाइट पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रखी जायेगी और ग्राम सभा के सूचना पट्ट पर भी उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त रेडियो, टेलीविजन और परिपत्रों के माध्यम से भी समुचित प्रसार किया जायेगा। सभी


तीनों वर्गों के लिए अन्तिम अनुमोदित डिजाइन का अभिलेखाकान समुचित रूप से अनुरक्षित और प्रसारित किया जायेगा।

* ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें नये आवास उपलब्ध कराये गये हैं, उनका पुराना स्थल एवं पुराना आवास (Old site and Old house) न्यायिक दृष्टि से स्वीकार्य अभिलेख के द्वारा सरकार के पक्ष में छोड़ना होगा। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यह अभिलेख सुचारू रूप से निबन्धित कर सरकार के खाते में लाये जाये।

समस्त स्थानीय अभिलेखों का अनुरक्षण जिलाधिकारी द्वारा अभिरक्षक के रूप में संबंधित तहसील के अभिलेख गृह में रखी जायेगी।

जिला स्तर पर कियान्वयन की सम्पूर्ण पुनर्निर्माण प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रणाधीन और सम्भागीय आयुक्त के पर्यवेक्षण के अधीन होगी।

भवदीय,


(भास्करानन्द)


सचिव

संख्या— १०५ (१) / XVIII-(2)/F/2013-16(5)/2013, तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) औबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2— निजी, सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3— निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— समस्त निजी सचिव, मा० मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 5— निजी सचिव, मुख्य सचिव / अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6— प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7— राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून को राजकीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।
- 8— अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(भास्करानन्द)

सचिव